

नज़ी संपत्तिका पुनर्वितरण

प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 39, 31, अनुच्छेद 39(b), सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सांविधानिक पीठ, [राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व](#), [केशवानंद भारती मामला, 1973](#)

मेन्स के लयः

नज़ी संपत्तिका अधिकार, राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व बनाम मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नरिणय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने सरकार द्वारा नज़ी स्वामित्त्व वाली संपत्तियों के अधगिरहण और पुनर्वितरण की संभाव्यताओं संबंधी वभिन्न याचिकाओं द्वारा उठाए गए वधिकि प्रश्नों पर सुनवाई शुरू की है।

- न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया ककिया संविधान के **अनुच्छेद 39 (b)**, जोकि **राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों** (DPSP) का हसिसा है, के तहत **नज़ी संपत्तियों** को "समुदाय के भौतिक संसाधन" माना जा सकता है।

पूरा मामला क्या है?

- यह मामला मुंबई में 'उपकरति' संपत्तियों (वे संपत्तियाँ हैं जनि के लयि उनके मालकि द्वारा **MHADA** के अध्याय VIII के तहत उपकर अथवा कर का भुगतान कयिा जाता है) के मालकों द्वारा **महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरयि डेवलपमेंट एक्ट** (MHADA), 1976 में वर्ष 1986 के संशोधन को चुनौती देने के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है।
- MHADA को वर्ष 1976 में** पुरानी, जीर्ण असस्था वाले इमारतों, जो बीतते समय के साथ खतरनाक होती जा रही थीं, में रहने वाले (गरीब) करियेदारों की समस्या के समाधान के लयि अधनियिमति गया था।
 - MHADA ने मरममत और पुनर्रिमाण परयोजनाओं की देखरेख के लयि **मुंबई बलिडगि मरममत एवं पुनर्रिमाण बोर्ड** (MBRRB) को भुगतान करने हेतु इमारतों में रहने वालों पर एक उपकर आरोपति कयिा।
 - इस अधनियिम को वर्ष 1986 में **अनुच्छेद 39(b)** को अधनियिमति करके संशोधति कयिा गया था, जसिके अनुसार-
 - इसका उद्देश्य भूमि और इमारतों के अधगिरहण संबंधी योजनाओं को करयिान्वति करना है, ताकि उन्हें "ज़रूरतमंद व्यक्तियों" तथा "इस प्रकार की भूमि अथवा इमारतों के मालकों" को **हस्तांतरति कयिा** जा सके।
 - यह अधनियिम 70% मालकों द्वारा अनुरोध की स्थति में **राज्य सरकार को उपकरति भवनों (और जसि भूमि पर वे बने हैं)** का अधगिरहण करने की अनुमतति देने का प्रावधान करता है।
 - समता के अधिकार का उल्लंघन:** मुंबई में संपत्ति मालकों के संघ ने MHADA को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दावा कयिा कि यह प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 14** के तहत संपत्ति मालकों के **समता के अधिकार** का उल्लंघन है।
 - राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों को छूट:** न्यायालय ने नरिणय दयिा कि DPSP के समर्थन में पारति कानूनों का इस आधार पर वरीध नहीं कयिा जा सकता कि वे संविधान के अनुच्छेद 31c द्वारा प्रदत्त **समता के अधिकार** का उल्लंघन करते हैं।
 - समुदाय के भौतिक संसाधनों की व्याख्या:** दसिंबर 1992 में एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में इस नरिणय के वरिद्ध अपील दायर की।
 - इस प्रकार, शीर्ष न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि कयिा नज़ी स्वामित्त्व वाले संसाधन, जनिमें उपकरति इमारतें शामिल हैं, **अनुच्छेद 39 (b)** के तहत "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के अंतर्गत आते हैं अथवा नहीं।

नज़ी संपत्ति और उसके वतिरण संबंधी वधिकि दृष्टिकोण क्या है?

- संविधानिक दृष्टिकोण:**
 - अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31:** यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
 - हालाँकि, वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधनियिम द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दयिा और **अनुच्छेद 300A** के

तहत इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

- **अनुच्छेद 300A:** इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी नजि संपत्ति से वंचित करने के लिये उचित प्रक्रिया एवं वधि के अधिकार का पालन करना होगा।
- **9वीं अनुसूची:** इसमें वशिष्ट वधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें न्यायालयों में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन करते हैं, जसमें (एक बार) संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल है।
- इस अनुसूची में भूमि सुधार (जमींदारी प्रथा का उन्मूलन) जैसे कानून शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 39:** इसमें **राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों** (संविधान के भाग IV के तहत) को सूचीबद्ध किया गया है, जो वधियों के अधिनियमन के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, कति इन्हें किसी भी न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है।
 - DPSP का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत की एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
- **अनुच्छेद 39(b)** के अनुसार "समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए वितरित करने की दशा में नीतिनिर्धारित करना राज्य का कर्तव्य है।
- **अनुच्छेद 39(c)** यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहतिकारी "संकेंद्रण" न हो।
- **अनुच्छेद 31C:**
 - कुछ नदिशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानून **अनुच्छेद 31C** द्वारा संरक्षित हैं।
 - अनुच्छेद 31C के अनुसार, इन वशिष्ट नदिशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 39(b) और 39(c)) को समता के अधिकार (**अनुच्छेद 14**) अथवा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतपूरण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार) का प्रयोग करके चुनौती नहीं दी जा सकती है।
 - **केशवानंद भारती मामले, 1973** में, न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता को बरकरार रखा कति इसे **न्यायिक समीक्षा** के अधीन बना दिया।
- **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या:**
 - **कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी मामले, 1977:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि नजि स्वामित्व वाले संसाधन "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 - **न्यायमूर्त कृष्णा अय्यर** ने इस पर **असहमत** जिताते हुए राय दी कि नजि स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाना चाहिये।
 - **अनुच्छेद 39 (b)** के दायरे से नजि संसाधनों के स्वामित्व को बाहर करना समाजवादी तरीके से पुनर्वितरण के इसके उद्देश्य को अस्पष्ट (छपिना) रखने के समान है।
 - **संजीव कोक मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकगि कोल मामले, 1983:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्त अय्यर की राय की पुष्टि की और कोयला खदानों तथा उनके संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने वाले केंद्रीय कानून को बरकरार रखा।
 - यह नरिणय लिया गया कि नजि स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाना चाहिये।
 - **मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया मामले, 1996:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या के लिये 9 न्यायाधीशों की **सांविधानिक पीठ** की सहायता ली।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **संजीव कोक मैनुफैक्चरिंग मामले** में **जस्टिस अय्यर** और पीठ द्वारा पेश की गई अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या को आधार बनाया।
 - न्यायालय ने नरिणय दिया कि प्राकृतिक अथवा भौतिक संसाधन और चल अथवा अचल संपत्ति "अनुच्छेद 39 (b) में वर्णित 'भौतिक संसाधन' के अंतर्गत शामिल होंगे तथा इसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी नजि व सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, न कथि केवल सार्वजनिक संपत्ति तक ही सीमित रहेंगे।"

राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व (DPSP) क्या हैं?

परिचय:

- **राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों (DPSP)** का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत की एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना करना है।

सांविधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान का **भाग IV** (अनुच्छेद 36-51) DPSP से संबंधित है।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 37** नदिशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान में नहिति नदिशक सिद्धांत **आयरशि संविधान** से लिये गए हैं।
- इन नीतियों के प्रेरक तत्त्व मनुष्य के अधिकारों और अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की उद्घोषणा के साथ-साथ **सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा** हैं।

उद्देश्य:

- **नियंत्रण और संतुलन:** इसका लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, संविधान निर्माताओं के अनुसार, भारत के राज्यों को इस दशा में प्रयास करते रहना चाहिये।
 - इन्हीं वचारों के अनुरूप उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का नरिहन करने के लिये भारत की वधायिकाओं, कार्यकारियों और प्रशासकों के लिये एक आचार संहिता निर्धारित की।
- **वधिक कार्रवाइयाँ और सरकारी नीतियाँ:** DPSP लोगों की आकांक्षाओं, उद्देश्यों तथा आदर्शों का प्रतीक हैं जिन्हें केंद्र और राज्य

सरकारों को एवं नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।

- **सामाजिक न्याय की वधारधारा:** यह भारतीय संवधान में नहलतल सामाजकल न्याय कल वधारधारा को प्रतबलबलत करतल है, हालँकल ये कसलल भी न्यायालय द्वारा वधकल रूप से बाधयकारी नहलल है, फरल भी वे देश कल शासन वयवस्था का मूलाधार है।

▪ **वर्गीकरण:**



Drishti IAS

Classification of Directive Principles of State Policy

- The Directive Principles are classified on the basis of their ideological source and objectives. These are Directives based on:
- **Socialist Principles: Article 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47**
- **Gandhian Principles: Article 40, 43, 43B, 46, 47, 48**
- **Liberal and Intellectual Principles: Article 44, 45, 48A, 49, 50, 51**

Famous Rulings for DPSP By Judiciary:

- **Champakam Dorairajan case (1951):** FR would prevail over the DPSP in case of conflict between the two. However, legislature can amend FR to give effect to DPSP
- **Golaknath case (1967):** FR are **sacrosanct** in nature and cannot be amended for implementation of DPSP
- **Minerva Mills case (1980)** Constitution is founded on the **bedrock of balance** between FR and DPSP

#PoliticsPolityPolicy

//

संपत्तकल पुनर्वतलरण से संबंधतल तर्क क्या है?

पक्ष में तर्क:

- **सामाजिक न्याय:** यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाले संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों के अनुरूप है।
- अप्रतिबंधित संपत्तिका अधिकार संपत्ति वितरण संबंधी असमानता को बढ़ा सकता है। अमीर लोगों के पास संपत्तियों का बड़ी मात्रा में संकेंद्रण हो सकता है, जिससे दूसरों के लिये इसकी उपलब्धता कम हो सकती है। यह सामाजिक शांति और आर्थिक गतिशीलता को बाधित कर सकता है, इसलिये संपत्तिका पुनर्वितरण आवश्यक है।
 - **उदाहरण:** नक्सल वदिरोह और उसके बाद नक्सली आंदोलन मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता के कारण उत्पन्न हुआ।
- **गरीबी उन्मूलन:** पुनर्वितरण कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करके **गरीबी** को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- **सामाजिक मुद्दों का समाधान:** संपत्तिका बुद्धिमतापूर्ण पुनर्वितरण सरकार को गरीबी उन्मूलन, बेघर लोगों की मदद करने तथा पर्यावरणीय क्षरण जैसे सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में सक्षम बनाता है।
- **सामाजिक एकजुटता:** आर्थिक असमानताओं को कम करने से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच अंतर को कम करके अधिक **सामाजिक एकजुटता व सौहार्द** को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वपिकष में तरक:

- **कार्य को हतोत्साहन:**
 - लोगों को विश्वास जो जाना कसरकार द्वारा पुनर्वितरण के माध्यम से विभिन्न सुविधाएँ प्रदान कर दी जाएँगी, यह लोगों को कड़ी मेहनत करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करता है।
 - यह संपत्ति सृजन और **उद्यमशीलता** को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है।
- **बाजार कषमता:** पुनर्वितरण का बाजार तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह संसाधन आवंटन व्यवस्था को विकृत कर सकता है।
- **वैयक्तिक स्वतंत्रता:** यह व्यक्तियों के एक समूह से जबर्न धन लेकर दूसरे को हस्तांतरित करके वैयक्तिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
- **प्रशासनिक प्रभाव:** पुनर्वितरण कार्यक्रमों को लागू करना और प्रबंधित करना एक अन्य कठिन कार्य है, जिसमें नौकरशाही के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार की भी काफी संभावना बनती है।
- **बीते समय में पुनर्वितरण संबंधी असफल प्रयास:**
 - कई देशों-समाजों में संपत्ति के स्वामित्व का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व है। यह असमति, वरिसत तथा पारिवारिक वरिसत की धारणाओं को दर्शाता है।
 - इसके अतिरिक्त, **भूमि सुधार** जैसे **पछिले पुनर्वितरण प्रयास केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्यों में वफिल रहे हैं।**

आगे की राह

- **सशरत संपत्ति अधिकार:** ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जहाँ संपत्तिका अधिकार इसके उत्तरदायीपूर्ण उपयोग के संबंध में शर्तों के अनुपालन पर आधारित हो।
 - सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि संपत्तिका उपयोग कैसे किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाती है या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
- **सामाजिक न्याय पर ध्यान:** पूर्ण संपत्ति अधिकारों के बजाय, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये कि सभी की आवास एवं भूमि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच हो।
 - इसमें धन पुनर्वितरण या संपत्ति के स्वामित्व संबंधी नयिम शामिल हो सकते हैं।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

अनुच्छेद 39(b) के उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की जाँच कीजिये तथा उन्हें दूर करने के लिये संभावित रणनीतियों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न 1. भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? (2020)

- राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
- मूल अधिकार
- उद्देशिका
- सातवी अनुसूची

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. मूल अधिकारों के अतिरिक्त, भारत के संविधान का नमिनलखिति में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948

(Universal Declaration of Human Rights 1948) के सदिधांतों एवं प्रावधानों को प्रतबिबिति करता/करते है/हैं? (2020)

1. उद्देशिका
2. राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
3. मूल कर्त्तव्य

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1,2 और 3

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. 'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संवधान में ही नहिति है और इसके तात्विक फलकों पर आधारति है। 'संवैधानिक नैतिकता' के सदिधांत की प्रासंगिक न्यायिक नरिणयों की सहायता से वविचना कीजयि। (2021)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/redistribution-of-private-property>

